

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

18/11/2021

पत्रांक-06/CMT (वि0प0) निवेदन-38/2013-7202

पटना, दिनांक-17/11/2021

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, मा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/अवर निरीक्षक, बिहार ।

विषय :- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की मान्यता विनियमन और नियंत्रण हेतु निर्गत अधिसूचना सं0-652 (अ) दिनांक-23.09.2021 के क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की मान्यता विनियमन और नियंत्रण हेतु अधिसूचना सं0-652 (अ) दिनांक-23.09.2021 निर्गत किया गया है, जो दिनांक-25.09.2021 से प्रभावी किया गया है ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-652(अ) दिनांक-23.09.2021 को बिहार राज्य द्वारा लागू किया जाता है । उपरोक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।
अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

18/11/2021
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 06/CMT (वि0 प0) निवेदन-38/2013-7202 पटना, दिनांक-17/11/2021

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

18/11/2021
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 06/CMT (वि0 प0) निवेदन-38/2013-7202 पटना, दिनांक-17/11/2021

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सचिव/विभागाध्यक्ष को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/11/2021
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

P.T.C